न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/361

हरेन्द्र सिंह आयु 62 वर्ष आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जी जाति जाट निवासी अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
2. बीना आयु 59 वर्ष पुत्री युधिष्ठर सिंह जाति जाट ।
3. धीरेन्द्र सिंह आयु 55 वर्ष आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जाति जाट ।
4. नरेन्द्र सिंह आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जी आयु 46 वर्ष जाति जाट निवासीगण ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महावीर प्रसाद बैरवा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोहीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी खसरा नम्बरा 21 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि पर वादी करीब 40 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से करीब 40 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वर्षों से अपीलान्ट वादी का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कथन करते हुए दावा वादी खारिज किया है कि कब्जे के बाबत् साक्ष्य प्रस्तत नहीं की है । वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज किया है । खसरा परिवर्तशील की नकल संवत् 2035 से पूर्व की है । वादी के द्वारा पेनेल्टी की रसीदें भी पेश की गयी थी । 40 वर्षों के कब्जे को पूर्णतया साबित किया था । राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र दिनांक 06.12.2001 में समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स को निरन्तर कब्जे बाबत् स्पष्ट आदेश दिये हैं जिसके अनुसार 1994 से पहले का कब्जा रिकॉर्ड से प्रमाणित किया जाना था । वादी ने तो दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया था फिर भी दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि सिवायचक है पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया था । सरकार के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है जो शामिल मिसल किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी की प्रति प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है कुछ खसरा परिवर्तनशील की नकलें पेश की हैं, जो शामिल मिसल हैं ।

10. वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सरकारी सिवायचक आराजी पर लम्बे समय से कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया

जा चुका है कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/361

हरेन्द्र सिंह आयु 62 वर्ष आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जी जाति जाट निवासी अकतासा तहसी
तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीला

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
2. बीना आयु 59 वर्ष पुत्री युधिष्ठर सिंह जाति जाट ।
3. धीरेन्द्र सिंह आयु 55 वर्ष आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जाति जाट ।
4. नरेन्द्र सिंह आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जी आयु 46 वर्ष जाति जाट निवासीगण
   अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधि
बून्दी जिला बून्दी ।**

वाद संख्याः 21/दावा/2015

हरेन्द्र सिंह आयु 62 वर्ष आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जी ज़ाति जाट निवासी अकतासा त
तालेडा जिला बून्दी ।

—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
2. बीना आयु 59 वर्ष पुत्री युधिष्ठर सिंह जाति जाट ।
3. धीरेन्द्र सिंह आयु 55 वर्ष आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जाति जाट ।
4. नरेन्द्र सिंह आत्मज श्री युधिष्ठर सिंह जी आयु 46 वर्ष जाति जाट निवासीगण ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.03.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद बैरवा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा